

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्या: जीसीएमएस नं. 2021/124

1. लियाकत अली पुत्र अब्दुल कादिर, निवासी 776 शास्त्री नगर  
जयपुर-16,

बनाम

1. यूनियन ऑफ इण्डिया द्वारा सचिव पुनर्वास विभाग जैसलमेर हाउस नई दिल्ली।
2. प्राधिकृत मुख्य प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान गोपाल बाड़ी, जयपुर।
3. जिला कलक्टर पुनर्वास, कलक्टर अलवर।
4. राज्य सरकार जरिये शासन सचिव पुनर्वास विभाग, राजस्थान जयपुर।  
— रेस्पोंडेन्ट्स
5. श्रीमती शहनाज उर्फ सगिरा बेगम पत्नी स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान,
6. अमान पुत्र स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज
7. अमिन पुत्र स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज,
8. इल्माना पुत्री स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज,
9. रिजवाना पुत्री स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज, समस्त निवासी ए-19, अमन विहार-द्वितीय खो नागोरियान जयपुर।

—प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्ट

✓ प्रार्थना पत्र संख्या: जीसीएमएस नं. 2021/125

1. श्रीमती शहनाज उर्फ सगिरा बेगम पत्नी स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान,
2. इल्माना पुत्री स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज,
3. अमिन पुत्र स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज,
4. रिजवाना पुत्री स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज,
5. अमान पुत्र स्वर्गीय श्री खिजर हयात खान नाबालिंग द्वारा माता शहनाज समस्त निवासी ए-19, अमन विहार-द्वितीय खो नागोरियान जयपुर।

बनाम

1. यूनियन ऑफ इण्डिया द्वारा सचिव पुनर्वास विभाग जैसलमेर हाउस नई दिल्ली।
2. प्राधिकृत मुख्य प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान गोपाल बाड़ी, जयपुर।
3. जिला कलक्टर पुनर्वास, कलक्टर अलवर।
4. राज्य सरकार जरिये शासन सचिव पुनर्वास विभाग, राजस्थान जयपुर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

P.T.O.

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

(2)  
5. लियाकत अली पुत्र अब्दुल कादिर, निवासी 776 शास्त्रीनगर  
जयपुर--16,

—प्रफोर्मा रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति:—

1. श्री साकेत पारीक एडवोकेट अपीलान्ट्स की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 29.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1728/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष डी.बी.विशेष अपील रिट संख्या 1737/2014 उनवानी स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम दी डिविजनल कमिश्नर जयपुर व अन्य प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.03.2021 को एक आदेश पारित कर उक्त अपील को स्वीकार कर लिया एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 एवं न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ कि उक्त अपील का निस्तारण शीघ्र करे एवं पुनः सुनवाई किये जाने के लिए प्रतिप्रेषित किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कथन किया है कि ग्राम सिलपटा सब तहसील कोटकासिम तहसील किशनगढ बास एवं जिला अलवर पर अवस्थित कृषि भूमि रकबा 59 बीघा 1 बिस्वा, बंधक की गई भूमि रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा एवं मकान व नोहरे की भूमि रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्वामी थे लेकिन जब वर्ष 1947 में जातीय दंगे हुए तब प्रार्थीगण के बजुर्गों में से श्रीमती नियाजन बेवा अब्दुल अजीज खान को छोड़कर सभी की हत्या कर दी गई लेकिन श्रीमती नियाजन जो तत्समय गर्भवती थी ने किसी तरह अपनी जान बचाकर जयपुर आ गई एवं जयपुर आकर अपने पुत्र खिजर हयात खान को जन्म दिया तथा जब परिस्थितियाँ सामान्य हुई तब खिजर हयात खाने ने अपनी माता श्रीमती नियाजन के जरिये पुनर्वास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी उक्त सम्पत्ति को वापस लौटाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पुनर्वास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के द्वारा विस्तृत एवं लम्बी जांच की गई एवं अपने आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके पुनर्वास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 07.02.1958 को आदेश पारित कर यह घोषित किया कि खिजर हयात खान अपनी उक्त सम्पत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है जो कि गलती से कस्टोडियन में निहित हो गई है साथ ही ही यह भी निर्देश जारी किया गया कि The Administration of the Evacuse Property Act. 1950 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत खिजर हयात खान को उक्त सम्पत्ति वापस लौटाई जावे।

P.T.O.

(3)

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि कलक्टर (पुर्नवास) अलवर के द्वारा दिनांक 01.03.1968 को तहसीलदार किशनगढ बास को एक पत्र प्रेषित कर इस बात को निर्देश जारी किया गया कि चूँकि खिजर हयात खान अपनी उक्त सम्पत्ति वापस प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये खिजर हयात खान को उक्त सम्पत्ति वापस लौटाई जावे एवं यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो उक्त सम्पत्ति के स्थान पर अन्य भूमि उक्त खिजर हयात खान को दी जावे। उक्त पत्र में इस बात का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया कि प्रकरण का निपटारा एक माह में किया जावे एवं मार्गदर्शन के लिये उक्त पत्र के साथ पुर्नवास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश दिनांक 07.02.1958 की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई थी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि याचिका संख्या 4704/2007 के लम्बित रहने के दौरान दिनांक 29.10.2009 को खिजर हयात खान की मृत्यु हो गई एवं चूँकि प्रार्थीगण खिजर हयात खान की पत्नी पुत्र-पुत्रीयों होने के कारण एवं प्रार्थी लियाकत अली के पक्ष में खिजर हयात खान के द्वारा अपने जीवन काल में वसीयत निष्पादित किये जाने के कारा प्रार्थीगण एवं प्रार्थी लियाकत अली खिजर हयात खान के विधिक वारिसान हुये एवं दिनांक 03.11.2009 को प्रार्थीगण एवं प्रार्थी लियाकत अली ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त रिट याचिका में मृतक खिजर हयात खान के विधिक वारिसान होने के आधार पर अपने आप को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोंडेन्ट्स में से किसी ने भी प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब प्रस्तुत किया और ना ही इस बात की कोई आपत्ति ही दर्ज करवाई कि प्रार्थीगण मृतक खिजर हयात खान के विधिक वारिसान नहीं है या प्रार्थी लियाकत अली के हक में निष्पादित वसीयत विधिक नहीं है एवं दिनांक 06.11.2009 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना में आदेश पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उक्त विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किये जाने का स्वीकार फरमाते हुए उक्त रिट याचिका में प्रार्थीगण एवं प्रार्थी लियाकत अली को प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश पारित कर संशोधित कॉज-टाइटल प्रस्तुत किये जाने का निर्देश जारी किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि शहनाज, जुल्फिकार अली उर्फ बाबू भाई की पुत्री है एवं खिजर हयात खान से विवाह के पूर्व प्रार्थी संख्या 1 शहनाज का नाम सगीरा बेगम था एवं प्रार्थी संख्या 1 का विवाह दिनांक 31.01.1992 को खिजर हयात खान के साथ मुस्लिम विधि की रिति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ। उन्होने आगे कथन किया है कि विवाह के उपरान्त प्रार्थी संख्या 1 का नाम सामान्य प्रक्रिया के तहत सगीरा बेगम से बदलकर शहनाज कर दिया गया, प्रार्थी संख्या 1 एवं खिजर हयात खान के विवाह के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के द्वारा दोनों की फोटोयुक्त मैरिज सार्टीफिकेट भी जारी किया गया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि खिजर हयात खान एवं प्रार्थी संख्या 1 शहनाज के विवाहित जीवन से दो पुत्र अमान एवं आमिन एवं दो पुत्रीयों इल्माना एवं रिजवाना प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 उत्पन्न हुये जिसमें से खिजर हयात खान एवं प्रार्थी संख्या 1 की प्रथम संतान

P.T.O.

(4)

सबसे बड़ी पुत्री प्रार्थी संख्या 2 इलमाना का जन्म दिनांक 11.01.1993 को हुआ उसके बाद द्वितीय संतान पुत्र प्रार्थी संख्या 3 अमिन का जन्म दिनांक 20.07.1997 को हुआ तत्पश्चात् तृतीय संतान पुत्री प्रार्थी संख्या 4 रिजवाना का जन्म दिनांक 07.09.1998 को हुआ एवं चौथी संतान पुत्र प्रार्थी संख्या 5 अमान का जन्म दिनांक 29.08.1999 को हुआ एवं जयपुर निगर निगम के द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 की धारा 17/27 एवं नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत खिजर हयात खान एवं प्रार्थी संख्या 1 शहनाज की चारों संतानों का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें उक्त चारों संतानों के पिता खिजर हयात खान एवं माता प्रार्थी संख्या 1 शहनाज का नाम अंकित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 10.07.1998 प्रार्थी संख्या 1 शहनाज का फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है एवं उक्त मतदाता पहचान पत्र दिनांक 10.07.1998 के अनुसरण में दिनांक 31.08.2008 को प्रार्थी संख्या 1 का फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया तथा उक्त दोनों मतदाता पहचान पत्रों में प्रार्थी संख्या 1 शहनाज को खिजर हयात खान की पत्नी होना अंकित किया गया है एवं उक्त दोनों मतदाता पहचान पत्रों में प्रार्थी संख्या 1 शहनाज की फोटो भी चस्पा की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मैरिज सार्टीफिकेट एवं उक्त दोनों मतदाता पहचान पत्रों में चस्पा की गई फोटो को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दोनों दस्तावेज पर एक ही व्यक्ति प्रार्थी संख्या 1 शहनाज की फोटोग्राफी चस्पा है। ऐसी स्थिति में कलक्टर अलवर सहित किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्नचिन्ह लगाया जाना ना केवल अवैधानिक है बल्कि कलक्टर की प्रार्थी के विरुद्ध कुत्सित भावना को भी प्रदर्शित करता है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 18.11.2004 को खिजर हयात खान ने आई.एन.जी.वैश्य लाईफ इंश्योरेन्स कम्पनी से एक इन्श्योरेन्स पॉलिसी संख्या 002022399 जारी करवाई जो दिनांक 28.11.2014 को परिपक्व हुई उक्त इन्श्योरेन्स पॉलिसी में खिजर हयात खान के द्वारा प्रार्थी संख्या 1 शहनाज का अपनी पत्नी के रूप में मनोनीत किया गया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2013 पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील के समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2013 को निरस्त किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को निर्देशित किया जावे कि पुर्नवास मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.1958 के अनुसरण में प्रार्थीगण को भूमि आवंटित करें।

11/4  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि खिजर हयात की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी लियाकत अली को न्यायालय में पक्षकार

P.T.O.

(5)

बनाये जाने मात्र से यह कल्पना कर लेना कि वह उनके विधिक वारिसान है गलत एवं न्यासंगत नहीं है, वैध वारिसान को उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक न्यायालय से घोषणा करानी चाहिये कि वह ही उनके वैध वारिसान है। जहाँ तक वसीयत को प्रश्न है खिजर हयात खान ने ऐसी सम्पत्ति की वसीयत की है जो वसीयत के समय उसके अस्तित्व में नहीं थी कानूनन ऐसी सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है और ऐसी वसीयत कानूनन मान्य भी नहीं है एवं ऐसी वसीयत विधिक रूप से कोई विधिक बल भी नहीं रखती है। इसलिये प्रार्थी लियाकत अली की उक्त वसीयत मान्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि खिजर हयात खान के वास्तविक वारिस घोषित प्रमाणित नहीं है चूँकि खिजर हयात एवं उसके तथाकथित वारिसान का जन्म ग्राम सिलपटा तहसील कोटकासिम में नहीं हुआ एवं ना ही जन्म के पश्चात् यह कभी ग्राम सिलपटा में रहे है इसलिये उनकी पहचान ग्राम सिलपटा के स्तर पर किया जाना संभव नहीं है तथा खिजर हयात एवं उनके वारिसान का जन्म जयपुर शहर में होना बताया गया है ऐसी स्थिति में खिजर हयात की वारिसान की घोषणा सम्बन्धित न्यायालय जिला जज जयपुर के स्तर से बाद जाँच की जा सकती है। उन्होने यह भी कथन किया है कि खिजर हयात के एक अन्य पत्नी और थी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण तलाक होना जाहिर करते है। यह मान भी लिया जावे कि खिजर हयात की पूर्व पत्नी को तलाक दिया था तो उसके एक पुत्र भी था उसकी सहमति के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा यह बिन्दु भी विचारणीय है कि खिजर हयात की पूर्व पत्नी व उसके पुत्र द्वारा क्लेम क्यों नहीं किया जा रहा है जो पुरे प्रकरण को ही संदेहास्पद बनाता है।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 07.02.1958 के सेडयूल प्रथम व द्वितीय में अंकित सम्पत्ति देने के आदेश दिये गये है परन्तु इसमें किसी कृषि भूमि का खसरा नम्बरान अंकित नहीं है, न ही इस बाबत आवेदन द्वारा अन्य कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया जिससे कि उनकी खातेदारी प्रमाणित होती हो। ऐसी स्थिति में जब आवेदक यह सिद्ध नहीं कर पाये है कि उनकी कौन-कौन सी सम्पत्ति है तो उन्हें आवंटन किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रस्तुत मामले में लियाकत अली वसीयत के आधार पर सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है इस क्रम में विभागीय मत है कि जो सम्पत्ति वसीयत के समय अस्तित्व में ही नहीं है उसकी वसीयत नहीं की जा सकती है और ऐसी वसीयत विधिक रूप से कोई मान्यता नहीं रखती है लिहाजा लियाकत अली वसीयत के आधार पर वसीयत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2013 पूर्ण विश्लेषण कर तर्क संगत आधारों पर निर्णित किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रायोजित तरीके से राजकीय भूमि हड़पने का षडयंत्र किया जा रहा है जिससे राज्यहित प्रभावित हो रहे है जिसके आधार पर विभागीय पक्ष रखा जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जे-खर्चे के खारिज फरमाया जावे।


विभागीय आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.

(6)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पुर्नवास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 13(1661)57/रेस्ट/3300 दिनांक 07.02.1958 द्वारा खिजर हयात खॉन के पूर्वज को ग्राम सिलपटा के निवासी होना एवं ग्राम सिलपटा में स्थित एक पक्का घर व नोहरा, स्वामित्व के अधिकार की 69 बीघा 1 बिस्वा भूमि, रहन के अधिकार की 53 बीघा 9 बिस्वा भूमि एवं गैर मौरूसी के अधिकार की 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि के स्वामी माना है। यदपि खिजर हयात खॉन द्वारा पंजीकृत वसीयत एवं विधिक वारिसान तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण का परीक्षण करने एवं पहचान पत्र संख्या आरजे/06/042/ए075011, आरबीपी/0072496 में एवं बीमा पॉलिसीज में एवं नसबन्दी प्रमाण पत्र इत्यादि में अपीलान्ट शहनाज के पति का नाम खिजर हयात अंकित है और इसी प्रकार नगर निगम जयपुर द्वारा इलमाना हयात, रिजवाना हयात, अमान हयात व अमीन हयात के नाम जारी जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम खिजर हयात व माता का नाम शहनाज हयात अंकित है जिन प्रमाण पत्रों को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी एवं खिजर हयात खॉ द्वारा अपीलान्ट लियाकत अली के नाम वसीयतनामा पंजीकृत कराया गया है जिसे भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी कोई भी तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलान्ट्स ही मृतक खिजर हयात अली के वारिसान प्रतीत होते हैं किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही आदेश दिनांक 12.02.2013 पारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं कानून की मंशा के अनुकूल नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर अलवर को प्रेषित किया जाता है कि पुर्नवास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 07.02.1958 की पालना में तहसीलदार तिजारा की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2007 में वर्णित भूमि ग्राम जोडिया मेव, खेहरीकलां, पिपलाना तहसील तिजारा का आवंटन स्व. खिजर हयात खान के वारिसान अपीलान्ट्स के नाम किया जावे साथ ही जिला कलक्टर अलवर को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त भूमि वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो तो अलवर जिले में ही उक्त भूमि के समतुल्य अन्य भूमि अपीलान्ट्स के नाम तीन माह में आवंटन किया जावे।

  
(दिनेश कुमार यादव)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।